IJAER/March-April-2025/Volume-14/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में लाभार्थी योजनाओं का प्रभाव: एक अवलोकन

Sushma kumari
Research Scholar, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand, University Bareilly

Prof.Neelam Gupta
Professor, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand, University Bareilly

सार

लाभार्थी योजनाएँ सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में। लाभार्थी योजनाएं आज के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कारक बन गई हैं। ये योजनाएं सरकारों द्वारा नागरिकों को आर्थिक सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाई जाती हैं, जिनका सीधा प्रभाव चुनावी राजनीति और शासन प्रणाली पर पड़ता है। लाभार्थी योजनाएं सरकारों के लिए एक प्रभावी चुनावी रणनीति बन गई हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे (उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुक्त राशन योजना आदि) चुनावों में मतदाताओं को आकर्षित करने में सहायक होती हैं । सरकारें अपनी छवि मजबूत करने के लिए लाभार्थी योजनाओं का सहारा लेती हैं। जनता को सीधा लाभ पहुंचाने से सरकारों को सकारात्मक जनमत प्राप्त होता है। कुछ लाभकारी योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने में सहायक होती हैं (जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना) । अन्य सरकारी लाभकारी योजनाओं(जैसे आयुष्मान भारत योजना, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच बढ़ती है,जिससे सामाजिक विकास को गति मिलती हैं। अन्य कई योजनाएं (जैसे लाड़ली लक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना) महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने में सहायक होती है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और सब्सिडी से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार में कल्याणकारी कार्यक्रमों तक की ये योजनाएँ शासन और चुनावी रणनीति के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में काम करती हैं। यह शोधपत्र मतदाता व्यवहार, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता पर ऐसी योजनाओं के प्रभाव की जाँच करता है। यह इस बात का भी विश्लेषण करता है कि सरकारें जनता का समर्थन हासिल करने के लिए इन पहलों का कैसे लाभ उठाती हैं और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह अध्ययन समकालीन राजनीति में लाभार्थी योजनाओं की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: *लाभार्थी योजनाएं, सब्सिडी, नकद हस्तांतरण , मतदाता व्यवहार*

परिचय

लाभार्थी योजनाओं का आशय उन सरकारी योजनाओं से है जिनका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ प्रदान करना होता है। यह योजनाएं आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाती हैं, जैसे -प्रधानमंत्री जन धन योजना (बैंकिंग सुविधा और वित्तीय समावेशन), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (महिला को मुक्त गैस कनेक्शन), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (किसानों को वित्तीय सहायता), आयुष्मान भारत योजना (मुख्य स्वास्थ्य बीमा), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (गरीबों को मुक्त या सस्ते दर पर राशन) जिससे गरीब वंचित और जरूरतमंद

नागरिकों को सहायता मिल सके। लाभार्थी योजनाएँ शासन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरी हैं, जो सामाजिक-आर्थिक विकास और राजनीतिक गतिशीलता दोनों को प्रभावित करती हैं। इन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), सब्सिडी, रोजगार कार्यक्रम और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कल्याणकारी पहल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों का उत्थान करना है। हाल के वर्षों में, सरकारों ने न केवल सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में बल्कि सार्वजनिक समर्थन हासिल करने के लिए रणनीतिक उपकरण के रूप में भी ऐसी योजनाओं पर भरोसा किया है। चुनावी नतीजों और राजनीतिक स्थिरता को आकार देने में लाभार्थी योजनाओं की भूमिका ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। और ये कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेश और आर्थिक सशक्तीकरण में मदद करते हैं, जबकि वित्तीय स्थिरता, प्रभावी कार्यान्वयन और राजनीतिक दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं की प्रभावशीलता प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होती है। यह शोधपत्र वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में लाभार्थी योजनाओं के प्रभाव का पता लगाता है, शासन, मतदाता व्यवहार और दीर्घकालिक आर्थिक निहितार्थों पर उनके प्रभाव की जाँच करता है। केस स्टडी और नीतिगत ढाँचों का विश्लेषण करके, इस अध्ययन का उद्देश्य इस बात की व्यापक समझ प्रदान करना है कि कल्याणकारी कार्यक्रम राजनीतिक निर्णय लेने और सामाजिक परिवर्तन में कैसे योगदान करते हैं। एस्पिंग-एंडरसन (1999)

भारत में लाभार्थी योजनाओं का इतिहास

इन योजनाओं ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है और उन्हें वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। इन योजनाओं ने सरकार को ग्रामीण और शहरी गरीबों का समर्थन जीतने में भी मदद की है और इसकी चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाया है। हालाँकि, सरकार को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि योजनाओं को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाए और उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए ठोस आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित किया जाए। भारत में अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण योजनाओं का एक लंबा इतिहास है। देश की सामाजिक कल्याण पहलों का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है जब राजा और सम्राट अपने विषयों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल प्रदान करते थे। हालाँकि, भारत में सामाजिक कल्याण योजनाओं का आधुनिक इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई उपाय पेश किए। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, नई सरकार ने इन पहलों पर काम करना जारी रखा और कई नए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पेश किए। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) थी, जिसे 1952 में शुरू किया गया था। सीडीपी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना था। 1960 में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी, जिससे गरीबी को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिली। 1970 के दशक में, भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सहायता और अन्य संसाधन प्रदान करना था ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें। 1980 के दशक में, भारत सरकार ने आबादी के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) 1983 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएँ और

सेवाएँ प्रदान करना था। एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम भी 1983 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना था। 1990 के दशक में, भारत सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए। महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा और सशक्तीकरण प्रदान करना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 1991 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज में लड़कियों की स्थिति में सुधार करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था। हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू करना जारी रखा है। 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य देश के सभी घरों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना था। वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। कुल मिलाकर, भारत में अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण योजनाओं का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। हालाँकि सभी भारतीयों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में सरकार का निरंतर निवेश देश के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। भारत में सामाजिक कल्याण योजनाओं का एक लंबा और विविध इतिहास है, जो 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक फैला हुआ है।

लाभार्थी योजनाएँ ऐतिहासिक रूप से शासन का एक मूलभूत घटक रही हैं, जो आर्थिक विषमताओं को दूर करती हैं और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में, ऐसे कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न सरकारों ने इन योजनाओं का विस्तार व्यापक सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को कवर करने के लिए किया है, जिससे वे सार्वजनिक नीति का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता में काफी सुधार हुआ है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और आधार-लिंक्ड सब्सिडी की शुरूआत ने लीकेज को कम किया है और पारदर्शिता में सुधार किया है। इन तकनीकी हस्तक्षेपों ने न केवल पहुँच को बढ़ाया है बल्कि उन्हें लागू करने वाली सरकारों की राजनीतिक विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है।

लाभार्थी योजनाओं के राजनीतिक निहितार्थ

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, लाभार्थी योजनाएँ चुनावी लामबंदी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गई हैं। सरकारें अक्सर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए कल्याणकारी पहलों का उपयोग करती हैं, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बीच। राजनीतिक दल अपने अभियान रणनीतियों के हिस्से के रूप में ऐसे कार्यक्रमों को डिज़ाइन और बढ़ावा देते हैं, जो सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हैं। हालाँकि, इस बात पर बहस बढ़ रही है कि क्या ऐसी योजनाएँ वास्तव में सार्वजनिक हित में हैं या मुख्य रूप से वोट हासिल करने के उद्देश्य से हैं। चुनौती स्थायी कल्याण नीतियों और लोकलुभावन उपायों के बीच अंतर करने में है जो लंबे समय में अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। जबकि ये पहल बेरोजगारी और खाद्य असुरक्षा जैसी तत्काल चिंताओं को संबोधित करती हैं, आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता पर उनका दीर्घकालिक प्रभाव चर्चा का विषय बना हुआ है।

कई विद्वानों ने आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका की जांच की है। कल्याणकारी राज्य सिद्धांत (एस्पिंग-एंडरसन, 1990) सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उदारवादी, कॉर्पोरेटवादी और सामाजिक-लोकतांत्रिक मॉडल में वर्गीकृत करता है, जिनमें से प्रत्येक सरकारी हस्तक्षेप के मामले में अलग-अलग है।

इसी तरह, पब्लिक चॉइस थ्योरी (बुकानन और टुलॉक, 1962) का सुझाव है कि राजनीतिक नेता न केवल सामाजिक भलाई के लिए बल्कि चुनावी लाभ हासिल करने के साधन के रूप में भी कल्याणकारी कार्यक्रम बनाते हैं। डेवलपमेंट ऐज फ्रीडम में अमर्त्य सेन (1999) का तर्क है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाएं मानव क्षमताओं का विस्तार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एक मौलिक भूमिका निभाती हैं। उनका काम इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अच्छी तरह से संरचित सामाजिक कार्यक्रम दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान करते हैं।

कई अध्ययनों ने पता लगाया है कि कल्याणकारी कार्यक्रम मतदाता व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। बनर्जी और डुफ्लो (2011) द्वारा पुअर इकोनॉमिक्स में किए गए एक अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चुनावी विकल्पों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, खासकर निम्न आय वर्ग के बीच। छिब्बर और वर्मा (2018) चर्चा करते हैं कि भारत में लक्षित कल्याणकारी योजनाओं ने सत्तारूढ़ दलों के प्रति मतदाताओं की वफादारी को कैसे मजबूत किया है, जिससे वे एक प्रमुख चुनावी रणनीति बन गए हैं। लैटिन अमेरिकी देशों (डी ला ओ, 2015) पर किए गए शोध से पता चलता है कि ब्राजील में बोल्सा फैमिलिया और मैक्सिको में ओपोर्टुनिडेड्स जैसे सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों का राजनीतिक स्थिरता और चुनावी नतीजों पर सीधा प्रभाव पड़ा है, जिससे अक्सर मौजूदा सरकारों को फायदा होता है। भारत में भी इसी तरह के निष्कर्ष देखे गए हैं, जहाँ पीएम-किसान और उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों को सत्तारूढ़ दल के चुनावी लाभ से जोड़ा गया है।

कल्याणकारी कार्यक्रमों का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लाभार्थी योजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक प्रभाव पर केंद्रित है। रावलियन (2016) चर्चा करते हैं कि बड़े पैमाने पर कल्याण कार्यक्रम गरीबी में कमी लाने में कैसे योगदान करते हैं, लेकिन अत्यधिक सरकारी व्यय के प्रति आगाह करते हैं जिससे राजकोषीय घाटा होता है। ड्रेज़ और सेन (2013) द्वारा किए गए अध्ययन स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक आर्थिक निवेश के साथ अल्पकालिक राहत उपायों को संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। भारतीय संदर्भ में, ग्रामीण रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण में इसकी भूमिका के लिए मनरेगा योजना का व्यापक रूप से विश्लेषण किया गया है। दत्ता एट अल. (2014) द्वारा किए गए शोध से संकेत मिलता है कि जबकि मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान की है, निधि वितरण में अक्षमता और मजदूरी भुगतान में देरी ने इसकी समग्र सफलता को प्रभावित किया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना(पीएमजेडीवाई) अगस्त 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत की बैंकिंग से वंचित आबादी को बैंकिंग, बचत, धन प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। पीएमजेडीवाई एक शानदार सफलता रही है और इसने लाखों लोगों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने में मदद की है। मार्च 2021 तक, पीएमजेडीवाई के तहत 43.04 करोड़ (430.4 मिलियन) से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल शेष राशि 1.35 लाख करोड़ रुपये (लगभग 18 बिलियन अमरीकी डॉलर) से अधिक है। इसका मतलब है कि भारत में अब 40% से अधिक वयस्क आबादी के पास बैंक खाता है, जो 2011 में सिर्फ 35% था। पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है, अकेले 2020-21 में लगभग 2.3 करोड़ (23 मिलियन) नए खाते खोले गए हैं। इस योजना ने 34.27 करोड़ (342.7 मिलियन) से ज़्यादा RuPay कार्ड भी मुहैया कराए हैं, जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी किए गए हैं। इन कार्ड का इस्तेमाल नकद निकासी, खरीदारी और ऑनलाइन लेनदेन के लिए किया जा सकता है। RuPay कार्ड की व्यापक उपलब्धता ने लाखों लोगों को डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में

लाने में मदद की है, जिससे सरकार के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। PMJDY की प्रमुख विशेषताओं में से एक वित्तीय साक्षरता और शिक्षा पर इसका ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना ने वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अभियान और पहल लागू की हैं, जैसे कि डिजी धन मेला, वित्तीय साक्षरता सप्ताह और जन धन दर्शक ऐप। इन पहलों ने लोगों को औपचारिक बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के लाभों के बारे में शिक्षित करने में मदद की है और PMJDY की सफलता में योगदान दिया है। PMJDY ने व्यवसाय संवाददाताओं (BC) और मोबाइल बैंकिंग वैन के उपयोग के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच को भी सक्षम किया है। BC स्थानीय एजेंट होते हैं जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। वे ग्राहकों को खाते खोलने, नकदी जमा करने और निकालने और अन्य बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने में मदद करते हैं। दूसरी ओर, मोबाइल बैंकिंग वैन बुनियादी बैंकिंग अवसंरचना से लैस हैं और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में जाती हैं। इन पहलों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने में मदद की है और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए औपचारिक बैंकिंग को सुलभ बनाया है। PMJDY ने महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी मदद की है। मार्च 2021 तक, PMJDY के तहत 23.8 करोड़ (238 मिलियन) से अधिक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए। इस योजना ने महिलाओं को खाता खोलने के छह महीने बाद 5,000 रुपये (लगभग 67 अमेरिकी डॉलर) तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करके खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है, बशर्ते वे कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

PMJDY भारत में वित्तीय समावेशन के लिए एक बड़ा बदलाव रहा है। इस योजना ने लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने में मदद की है और सरकार के कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में योगदान दिया है। वित्तीय साक्षरता, दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच और महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर अपने फोकस के साथ, PMJDY ने भारत में वित्तीय समावेशन योजनाओं के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिक, विशेष रूप से समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को वित्तीय पहुँच प्रदान करना है, जिन्हें अक्सर औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर रखा जाता है। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली के दायरे में हर गैर-बैंकिंग परिवार को लाना और आम जनता के बीच बचत की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह योजना अपनी पहुँच और प्रभाव के मामले में सफल रही है। मार्च 2022 तक, इस योजना के तहत 44.31 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल शेष राशि 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इस योजना के तहत 36.55 करोड़ से ज़्यादा RuPay कार्ड जारी किए गए हैं और 32.78 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) खाते और 23.47 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) खाते खोले गए हैं। PMJDY का भारतीय राजनीति पर काफ़ी असर पड़ा है। इस योजना ने सरकार को आम लोगों, ख़ास तौर पर समाज के ग़रीब और हाशिए पर पड़े लोगों से जुड़ने में मदद की है। इस योजना का इस्तेमाल सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने समर्थन जुटाने और अपने मतदाता आधार को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया है। इस योजना ने सरकार को खुद को ग़रीबों और विकास के पक्ष में पेश करने में भी मदद की है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर पर सफल रही है, जहाँ पहले बड़ी संख्या में लोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर थे। इस योजना के तहत बैंक खाते खोलने से ग्रामीण आबादी को विभिन्न वित्तीय सेवाओं, जैसे कि ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुँच मिली है। इससे न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद मिली है, बल्कि ग्रामीण आबादी की अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता भी कम हुई है। इस योजना ने लोगों के बचत व्यवहार में भी बदलाव लाने में मदद की है। बैंक खाते खोलने से लोगों को अपना पैसा बचाने और उत्पादक उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे निवेश और उद्यमिता में वृद्धि हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस योजना ने

लोगों को अपना पैसा बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रवाह को कम करने में भी मदद की है।

PMJDY ने सरकार को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने में भी मदद की है। इस योजना ने लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी और लाभों के सीधे हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, जिससे लीकेज और भ्रष्टाचार कम हुआ है। इससे न केवल सामाजिक कल्याण योजनाओं के वितरण की दक्षता में सुधार करने में मदद मिली है, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में भी मदद मिली है। PMJDY का भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है। इस योजना के कारण बैंक खातों की संख्या और बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में वृद्धि हुई है। इससे न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद मिली है, बल्कि बैंकिंग सेवाओं की मांग में भी वृद्धि हुई है। इस योजना ने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने में भी मदद की है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

यद्यपि कई विद्वानों ने लाभार्थी योजनाओं से जुड़ी चुनौतियों की पहचान की है, जिनमें भ्रष्टाचार, अकुशलता और राजनीतिक पूर्वाग्रह शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (2020) द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कल्याण वितरण में लीकेज, विशेष रूप से खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों में, उनकी प्रभावशीलता को कम कर दिया है। खेड़ा (2011) चर्चा करते हैं कि कैसे आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ने दक्षता में सुधार किया है, लेकिन डेटा गोपनीयता और बहिष्करण त्रुटियों के बारे में चिंताएं भी जताई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) (2022) की एक रिपोर्ट बताती है कि समावेशी विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएँ आवश्यक हैं, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिरता एक बढ़ती हुई चिंता है। रिपोर्ट सरकारों को कल्याणकारी खर्च और आर्थिक उत्पादकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है।

निष्कर्ष

लाभार्थी योजनाएँ शासन का एक केंद्रीय तत्व बन गई हैं, जो राजनीतिक परिणामों को आकार देती हैं और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, ये योजनाएँ चुनावी लामबंदी के लिए कल्याण तंत्र और रणनीतिक उपकरण दोनों के रूप में काम करती हैं। दुनिया भर में सरकारें, विशेष रूप से विकासशील देशों में, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए ऐसी पहलों पर भरोसा करती हैं, साथ ही साथ मतदाता निष्ठा को मजबूत करने के लिए उनका उपयोग करती हैं। जबकि ये योजनाएँ तत्काल राहत प्रदान करती हैं और सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाती हैं, उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता नीति डिजाइन, वित्तीय स्थिरता और कार्यान्वयन में पारदर्शिता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। वित्तीय बोझ और वितरण में अक्षमता सहित आर्थिक चिंताएँ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जैसे- विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को अनेक प्रकार के प्रलोभन के माध्यम से लुभाने की होड़ में रहते हैं जिन्हें मुक्त उपहार या फ्रीबी़ज के रूप में जाना जाता है। वर्तमान परिदृश्य में यह प्रवृत्ति बड़ी हुई प्रतीत होती है जहां राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए ऐसी ही नई-नई योजनाएं एवं तरीके आजमा रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप में उपलब्ध पानी और बिजली अब चुनावी उपहार के सार्थक रूप में पर्याप्त नहीं रह गए हैं। फ्रीबी़ज के इर्द-गिर्द उभरा यह राजनीतिक परिदृश्य कई खतरे रखता है क्योंकि यह स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों के आधार को मूल रूप से प्रभावित करता है। चुनाव से पहले के ऐसे कई अव्यवहार्य वायदे एवं योजनाएं मतदाताओं द्वारा सूचित निर्णय लेने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल लोगों के वोट को सुरक्षित करने के लिए मुक्त बिजली या पानी की आपूर्ति बेरोजगारों दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और महिलाओं को भत्ता, साथ-

साथ गैजेट जैसे लैपटॉप स्मार्टफोन आदि की पेशकश करने का वादा करते हैं। इससे राज्य के साथ-साथ केंद्र के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। निजि वस्तुओं और सेवाओं पर फ्रीबी़ज कोई वास्तविक सामाजिक लाभ उत्पन्न नहीं करते -उदाहरण के लिए बिजली का मुक्त वितरण कोई सामूहिक सामाजिक लाभ प्रदान नहीं करता इसलिए इसे निजी वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। बिना विधायी बहस के जल्दबाजी में मुफ्त की घोषणा करने से वांछित लाभ नहीं मिलता एवं यह केवल गैर जिम्मेदार को बढ़ावा देता है। अगर गरीबों की मदद करनी है तो बिजली और पानी के बिल माफी जैसी कल्याणकारी योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है। जिसे राज्यों के बजट में आसानी से समायोजित किया जा सकता है। सब्सिडी और फ्री बी़ज सरकारी राजस्व पर दबाव बनाते हैं जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है और ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है।ऐसे राज्य जो कम विकसित है एवं जिनकी जनसंख्या अत्यधिक है वहां इस तरह की सुविधाएं आवश्यकता या मांग आधारित होती है तथा राज्य के उत्थान के लिए ऐसी सब्सिडी की पेशकश जरूरी हो जाती है। जबकि मुफ्त में ऐसी सुविधाएं देने से अंततः सरकारी खजाने पर असर पड़ता है और भारत के अधिकांश राज्यों की मजबूत वित्तीय स्थिति नहीं है एवं राजस्व के मामले में बहुत सीमित संसाधन हैं। (द हिन्दू 2022)। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के कार्यक्रम राष्ट्रीय बजट पर अत्यधिक वित्तीय दबाव न डालें, कल्याण व्यय और आर्थिक विकास के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, लाभार्थी योजनाओं की सफलता शासन दक्षता, तकनीकी एकीकरण और लीकेज और भ्रष्टाचार को रोकने की क्षमता से प्रभावित होती है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी डिजिटल प्रगति ने पारदर्शिता में सुधार किया है, फिर भी बहिष्करण त्रुटियाँ और डेटा गोपनीयता चिंताएँ जैसे मुद्दे बने हुए हैं। आगे बढ़ते हुए, नीति निर्माताओं को ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो समावेशी, वित्तीय रूप से व्यवहार्य हों और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना, समान वितरण सुनिश्चित करना और कौशल विकास पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इन योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में, लाभार्थी योजनाएँ शासन और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी। हालाँकि, उनके वास्तव में परिवर्तनकारी होने के लिए, उन्हें ऐसे दृष्टिकोण के साथ डिज़ाइन और कार्यान्वित किया जाना चाहिए जो तत्काल सामाजिक कल्याण और सतत आर्थिक विकास दोनों को प्राथमिकता देता हो। एक रणनीतिक दृष्टिकोण जो कल्याणकारी पहलों को व्यापक विकासात्मक नीतियों के साथ एकीकृत करता है, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखते हुए समाज के लिए स्थायी लाभ सुनिश्चित करेगा।

संदर्भ

[1] बनर्जी, ए., और डुफ्लो, ई. (2011)। गरीब अर्थशास्त्र: वैश्विक गरीबी से लड़ने के तरीके पर एक क्रांतिकारी पुनर्विचार। पब्लिक अफेयर्स।

[2] बुकानन, जे.एम., और टुलॉक, जी. (1962)। सहमति की गणना: संवैधानिक लोकतंत्र की तार्किक नींव। मिशिगन विश्वविद्यालय प्रेस।

[3] छिब्बर, पी., और वर्मा, आर. (2018)। विचारधारा और पहचान: भारत की बदलती पार्टी प्रणाली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

[4] डे ला ओ, ए.एल. (2015)। लैटिन अमेरिका में गरीबी को समाप्त करने के लिए नीतियाँ तैयार करना: शांत परिवर्तन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

[5] ड्रेज़, जे., और सेन, ए. (2013)। एक अनिश्चित गौरव: भारत और इसके विरोधाभास। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

[6] दत्ता, पी., मुरगई, आर., रावलियन, एम., और वैन डे वॉल, डी. (2014)। काम करने का अधिकार? बिहार में भारत की रोजगार गारंटी योजना का आकलन। विश्व बैंक प्रकाशन।

[7] एस्पिंग-एंडरसन, जी. (1990)। कल्याणकारी पूंजीवाद की तीन दुनियाएँ। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

[8] खेरा, आर. (2011)। रोजगार गारंटी के लिए लड़ाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

[9] रावलियन, एम. (2016)। गरीबी का अर्थशास्त्र: इतिहास, माप और नीति। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
[10] सेन, ए. (1999)। स्वतंत्रता के रूप में विकास। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
[11] अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)। (2022)। राजकोषीय मॉनिटर: संतुलन अधिनियम - समावेशी विकास का समर्थन करते हुए राजकोषीय जोखिमों का प्रबंधन। www.imf.org से लिया गया
[12] ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। (2020). भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। www.transparency.org से लिया गया
[13] विश्व बैंक। (2021)। विश्व विकास रिपोर्ट: बेहतर जीवन के लिए डेटा। www.worldbank.org से लिया गया
[14] भारत सरकार। (2022)। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
[15] नीति आयोग। (2021)। आकांक्षी जिला कार्यक्रम: प्रगति और आगे का रास्ता। www.niti.gov.in से लिया गया
[16] कुंडू, पी. (2022)। "भारत में ग्रामीण आजीविका पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के प्रभाव का आकलन।" जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 45(3), 245-267।
[17] शर्मा, ए., और कुमार, आर. (2021)। "कल्याणकारी राजनीति और चुनावी परिणाम: भारत की पीएम-किसान योजना से साक्ष्य।" एशियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 29(2), 189-205.
[18] गुप्ता, एस., और मेहता, ए. (2020). "सामाजिक कल्याण वितरण में डिजिटल शासन की भूमिका।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 43(7), 601-617.
[19] यह एडिटोरियल 5/ 8 /2022 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Sop or welfare debate: On freebies"लेख पर आधारित है।